न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला—सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :— 02 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2024 / 66

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
राधादेवी पत्नी बाबरा जाति—कलबी, निवासी—धानता तहसील व जिला—सांचौर		1 गेना पुत्र राजा 2 नरसीराम पुत्र दजाराम जातियान—कलबी, निवासीगण धानता, तहसील व जिला—सांचौर 3 सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर जिला—सांचौर

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा :— 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :— 29.05.2024

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:— निर्णय :— दिनांक :— 05.09.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया मय अधिवक्ता ने एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का पेश किया, बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा धानता के खातेदारी खेत खसरा संख्या 327 रकबा 5.97 हैक्टेयर चाही सोयम जाव सोयम, खसरा संख्या 327 / 1256 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकिन कुल खसरे 02 जुमले रकबा 5.98 हैक्टेयर के आये हुए है। जिसमें प्रार्थीया रेकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थीया उपरोक्त खेतों की पैमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। प्रार्थीया के पड़ौसी खसरा संख्या 334 / 1287 का खातेदार गेनाराम हमेशा मेरे खेतों के सेढ़े नष्ट कर माठें आगे—पिछे करता रहता है। इस हेतु मुझ प्रार्थीया ने पूर्व में दिनांक 06.05.2024 को श्रीमान तहसीलदार सांचौर को खेत खसरा संख्या 327, 327 / 1256 की पैमाईश हेतु आवेदन किया, जिस पर हल्का पटवारी के नाम [illegible] आदेश किया गया, लेकिन अप्रार्थी गेनाराम ने उक्त खेतों की पैमाईश नहीं [illegible] दी तथा हमेशा उक्त खेत की माठें तोड़ते रहते है तथा हमारे खेत में घुसने की कोशिश करते रहते है। श्रीमान से निवेदन है कि सरहद धानता में मेरे खातेदारी खसरा संख्या 327 रकबा 5.97 हैक्टेयर व खसरा संख्या 327 / 1256 रकबा 0.01 हैक्टेयर जुमले रकबा 5.98 हैक्टेयर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:08:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश तहसीलदार सांचौर को दिलावें तथा स्थायी समाधान हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश तहसीलदार सांचौर को दिलावें तथा पत्थरगढ़ी के वक्त शांति व्यवस्था बनी रहे इस हेतु पुलिस व्यवस्था करवाई जावें।

अप्रार्थी संख्या संख्या 1 लगायत 3 तामील बावजूद अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

हमने एकपक्षीय बहस सुनी गई, अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थीया के खेत खसरा संख्या 327 रकबा 5.97 हैक्टेयर व खसरा संख्या 327 / 1256 रकबा 0.01 हैक्टेयर जुमले रकबा 5.98 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है जिसमे अप्रार्थी गेनाराम हमेशा खेतो मे सेढ़े नष्ट कर माठें आगे–पिछे करता रहता है तथा प्रार्थीया के खेत मे घुसने की कोशिश करता रहता है इस हेतु प्रार्थीया के उपरोक्त खसरा नंबरान के स्थायी समाधान हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार सांचौर के नाम आदेश फरमावे।

हमने एकपक्षीय बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली–भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा पेश नक्शा, तथा जमाबंदी संवत 2076 से खसरा संख्या 327 रकबा 5.97 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 327 / 1256 रकबा 0.01 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थीया की होना तथा मौका फर्द दिनांक 07.05.2024 के अनुसार व खसरा संख्या 334 / 1287 के खातेदार के बीच माठ को लेकर विवाद होना प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

परिणामस्वरूप: प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि सरहद मौजा धानता के खेत खसरा संख्या 327 रकबा 5.97 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 327 / 1256 रकबा 0.01 हैक्टेयर की पैमाईश कर दोनो पक्षों की उपस्थिति में उपरोक्त आराजी पर पत्थरगढ़ी करवाई जावें। पत्थरगढ़ी का तमाम खर्चा प्रार्थीया स्वयं वहन करें।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:08:59 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner